

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 09.10.2026

◆ "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆ अत्यधिक लापरवाही से ट्रक चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने व मृत्यु का कारण बनने के मामले में मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल ₹1,500/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

◆ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी एवं अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जुर्म स्वीकृति के फलस्वरूप हुई सजा

दिनांक 19 जुलाई 2007 को ग्राम सहसेपुर के सामने मिर्जापुर के तरफ से ट्रक ड्राइवर अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वादी मुकदमा के भाई को काफी चोटें आयीं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त प्रकरण में थाना औराई, जनपद भदोही पर धारा 279, 337 एवं 304ए भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष एपीओ श्री वीरेन्द्र वर्मा की प्रभावी पैरवी तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकृति करने के फलस्वरूप, मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 09.10.2026 को अभियुक्त रामप्यारे पुत्र स्व० रामसूरत यादव (निवासी- अम्बिकानगर, थाना- छावनी, जिला-बड़ौदा, गुजरात) को दोषसिद्ध किया गया। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337 एवं 304ए भा०दं०सं० के अंतर्गत जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक धारा में ₹500/- के अर्थदण्ड, अर्थात् कुल ₹1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का कोई भाग अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।